

**Area of 30 M.W.Power Plant Village Kasaipali Expansion
(Unit-2)**

A.C.B. Purchased Land 30 M W

Acquired Land

S no	Khasara no	Area in Hectares	S.no	Khasara no	Area in hectares
1	186/2क 195/2क	0.202	1	186/1च	0.640
2	187/2	0.202	2	186/2ग	0.162
3	188/2	0.081	3	195/2ग	1.032
4	189	0.053	4	195/2ज	0.138
5	194/1	0.138	5	195/3ग	2.092
6	194/2	0.065	6	195/2घ	0.388
7	195/1ङ	0.567	7	195/2ड	0.182
8	195/1च	0.809	8	196/1	0.340
9	195/3क	0.405	9	197	0.182
10	195/1क	0.243	10	186/2ख, 195/2ख	0.902
11	196/2	0.138			6.058
		2.903			

Govt .Land - Khasara no 187/1 – Rakaba (Area) - 0.105 Hect.

Total land - A.C.B Purchsed Land, Aquired land ,Govt land =9.066 Hec./22.40Aec.

अदालत श्री. डी. एस. ठाकुर... विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रध्याजि तथा कुर्माणा का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

श्री. सदनलाल... आरमज कृजलाल... निवासी ग्राम चाफाकुड़ा
तहसील कटघोरा... जिला कौरवा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामल
क्रमांक 122/31-2002 के अंतर्गत कनेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा... के आदेश दिनांक 6-8-2003
5 अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारित किया गया है :-

ग्राम ग्राम भव बन्दोवस्त नम्बर, व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
--	--	-----------------------------	---

ग्राम कसईपाले
पं.ह.नं. 31
रा.नि.मं. व तहसील
कटघोरा
जिला - कौरवा

186/2क	0-211
195/2क	
190/3	0-020 ✓
195/3ख	0-728 ✓
192/1	0-129 ✓
255/1	0-631
256/1ख	0-162
256/2ख	0-405
256/1म	0-405
256/1म	0-677 ✓
256/3	0-324 ✓
257	0-121 ✓
275/1	0-101 ✓
276/2	0-202 ✓
256/1क	0-113

14 4-159 हे०

448208 वर्ग फुट
व्यवसायिक

पुनर्निर्धारण-16136=00 रुपए
देय दिनांक 1-10-2002
का प्रत्यक्षी भूराजस्व 2-40 निरस्त किया
गया।
प्लान क्र 28 दिनांक 18-8-03 के अनुसार
पुनर्निर्धारण क्र 1-10-2002 से 30-9-2003
तक का 16136=00 एवं सीमायम 62483=0
कुल 78619=0 जमा किया गया।
प्लान क्र 38 दिनांक 18-8-2003 के अनुसार
पंचायत उपकरण सीमा 8068=00 रुपए
जमा किया गया।



(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप
राप पर प्रीमियम (प्रध्याजि) 162483:00... रुपया और जुर्माना... रुपया किया जाता है जो आप बाजाने
हमा कर चालान दिनांक... या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

अधीक्षक

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
कौरवा ईकाई, को. नं.
22-08-2003

अदालत की 518/2003/2150 विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रध्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

खानम

श्री. सलील राम आरम्भ लारखन निवासी ग्राम कसरपाली
पट. ह. नं. 31 तहसील कटघोरा जिला कोरबा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-कायदाकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व बामका
क्रमांक 142/2002/2150 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा के आदेश दिनांक 6-8-2003
के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारित किया गया है :-

शाय ग्राम मय बन्दोवस्त नम्बर, व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
ग्राम <u>कसरपाली</u>	<u>187/2</u>	<u>0-202</u>	व्यवसायिक प्रयोजन हेतु
पट. ह. नं. <u>31</u>	<u>188/2</u>	<u>0-081</u>	पुनर्निर्धारण 1460.00 एवं
रा. नि. मं. <u>कटघोरा</u>	<u>190/1</u>	<u>0-081</u>	पंचायत 3482 730.00 रु.
तहसील <u>कटघोरा</u>	<u>195/3छा</u>	<u>0-012</u>	निर्धारित किया गया। तथा
जिला <u>कोरबा</u>	योग 4	<u>0-376 हे.</u> (40548' वर्ग फुट)	देय दिनांक 1-10-2002 से
			होगा।
			कूलि भू-राजस्व 0.35 रु.
			निरस्त किया गया।
			तालान रु. 28/5 दिनांक 18-8-2003 के द्वारा
			पुनर्निर्धारण 1460.00 रु. प्रख्याती 5652.00 रु. तथा
			तालान रु. 28/25 दिनांक 18-8-2003 के द्वारा 730.00
			रुपये स्टोर बैंक कटघोरा में जमा किया गया।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कायदाकारी भूमि को गैर-कायदाकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप
वाप पर प्रीमियम (प्रध्याजि) 5.652.00 रुपया और जुर्मानाX..... रुपया किया जाता है जो आप खजाने
में जमा कर चालान दिनांक या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

Shrikant
अधीक्षक

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
कोरबा जिला, कोरबा
21-8-2003

अवास की ... विशेष कार्यकारी अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रथाजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

जी. ... आत्मज ... निवासी ग्राम ...
स्ट. ड. नं. ... तहसील ... जिला ...

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व सामान्य ... के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी ... के आदेश दिनांक ... के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारित किया गया है :-

राज्य ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर, व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
शुभ-कसई जाला पट्टा-नं. 31 राजनि-मं-वतलसोल कसई जाला जिला-कोरबा	129 195 36 194/2 3	0-053 0-405 0-065 0-523 59244व कु. पचसतीक	सुनिश्चित 2025=00 रुपाए दिनांक 1-10-2002 काश्तकारी अराजस्व 0-30 पैसा निरस्त किया गया।
		पलाकगोबं 28 दिनांक 18-8-2003 के अनुसार सुनिश्चित 1-10-2002 से 30-9-2003 तक का 2025=0 एवं सीमापत्र 7841=0 रुपाए कुल 9866=0 जमा किया गया। पलाकगोबं 28/28 दिनांक 18-8-2003 के अनुसार पंचरपत उवकर 1013=0 रुपाए जमा किया गया।	



(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रथाजि) ... रुपया और जुर्माना ... रुपया किया जाता है जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक ... या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

Signature
अधीक्षक

विशेष कृतकर्मशोधकारी (परिवर्तित भूमि)
कोरबा ईकाई, कोरबा
22-8-2003

अदालत श्री डॉ. एस. ठाकुर विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रध्यापित तथा क्षति का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

श्री एस. एस. ठाकुर आत्मज गंगाधर ठाकुर निवासी ग्राम कसई पाली
पट. ह. नं. 31 तहसील करदीरा जिला कोरबा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर वीर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला
क्रमांक 125/32/2003 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी करदीरा के आदेश दिनांक 6.8.2003
5 अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारित किया गया है :-

ग्राम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर, व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर फॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
--	--	-----------------------------	---

ग्राम-कसई पाली
पट. ह. नं. 31
तहसील-करदीरा
जिला-कोरबा

194/1

0-138 हे०
14824 वर्ग फु०
चतुर्भुज

पुनर्निर्धारण-534= रु० 1500 किया
गया। दिनांक 1-10-2002
काश्तकारी कर राजस्व 0.15 निरस्त किया
गया।

प्लान क्र० 28/15 दिनांक 18-8-2003 के अनुसार
पुनर्निर्धारण कर 1-10-2002 से 30-9-2003 तक
का 534= रु० 64 एवं जी० अयम 2067= रु० 64 कुल
267= रु० 64 जमा किया गया।
प्लान क्र० 28/31 दिनांक 18-8-2003 के अनुसार
पंचायत उपकर सीमा 267= रु० 64 जमा किया
गया।



(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को वीर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप
वाप पर प्रीमियम (प्रध्यापित) 2067= रु० 64 रुपया और जुर्माना..... रुपया किया जाता है जो आप खजाने
में जमा कर चालान दिनांक..... या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

XXIII-D-3
Settlt.

न्यायलय अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि

कोरबा, जिला - कोरबा (छ.ग.)

अदालत श्री डी० एस० टांडु विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रव्याज तथा जुमाना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

अर्जन कोल वेनीफिकेशन प्रा० लि०

बनाम

व्यापक शसाद कुमारी

आत्मज

दासराज कुमारी

निवासी ग्राम

दीपका

पट. ह. नं.

21

तहसील

कटघोरा

जिला

कोरबा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला क्रमांक 125/81-2/05-06 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा के आदेश दिनांक 24-4-06 के अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है :-

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
ग्राम - कसई घाली	195/15	0.567	व्यवसायिक प्रयोजन हेतु
पट ह. नं. 31	268	0.624	पुनर्निर्धारण 11537.00 रुपये
तहसील - कटघोरा	247/2	0.263	पंचायत उपकर 5768.00 रुपये
जिला - कोरबा	276/16	0.308	वर्ष 1-10-05 से निर्धारित
	263/33	0.405	किया गया। तथा हक 2.20 लाख
	263/50	0.809	8.35 रुपये निरस्त किया
			गया।
योग	6	2.976 हे०	
		7.35 रुपये	



(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप पर प्रीमियम (प्रव्याज) 44675.00 रुपये और जुमाना X रुपये किया जाता है जो आप खजाने में जमा कर चालान दिनांक 15 दिवस या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें.

अदालत श्री जे. पी. सिंह विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रब्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

जस ए. सी. बी. (नोटिस) लिमिटेड बनाम
श्री शुभराम जाट

आत्मज दीपचंदर जाट निवासी ग्राम दीपका

पट. ह. नं. 34 तहसील कटघोरा जिला कोरबा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला
एफ 4-33/सत 1/2014 ए. सी. बी. प्रो. गैर-काश्तकारी उपयोग में लाये जाने के कारण राजस्व मामला प्रबन्धन विभाग मेवाला
क्रमांक 31/का-2/2013-14 के अंतर्गत कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के आदेश दिनांक 11-11-2014 के
अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारण किया गया है :-

नाम ग्राम मय बन्दोबस्त नम्बर व. ह. नं.	खसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
ग्राम कसई पाली	280/2	220/1 0-575	पुनर्निर्धारण - 59017=00
प. ह. नं. 5	195/1	263/45 0-809	पर्यावरण उपकरण - 29512=00
तहसील	283/1	263/24 0-405	कटघोरा, सि. उपकरण - 29512=00
कटघोरा	244/1	263/38 0-405	प्रीमियम - 761785=00
	244/2	195/1 च 0-809	पेन्चायत उपकरण 29503=00
	281/2	263/6 0-526	856213=00
	256/1 ज	265/10 0-089	भू. रा. कार्य - 4=00
	242/2	263/58 0-809	देय दिनांक 1-10-13
	263/2	263/59 0-809	
	217/1	263/60 0-809	
	220/2	265/26 0-809	
	219	0-186	
	276/13	0-198	32 किलो 141820 हे.
	280/2	0-081	व. फ. 1639360
	263/14	0-599	व. मी. 152357
	263/42	0-809	(आविष्कार)
	263/32	0-405	
	263/36	0-809	
	186/16	0-283	
	220/3	0-1647	
	263/34	0-405	
	263/39	0-1809	

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि काश्तकारी भूमि को गैर-काश्तकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप आप
पर प्रीमियम (प्रब्याजि) 761785=00 रुपया और जुर्माना रुपया किया जाता है जो आप खजाने में
जमा कर चालान दिनांक 15 दिवस के भीतर इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें.

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
कोरबा जिला कोरबा (छ. ग.)

अदालत की डी० एस० ठाकुर विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)
(परिवर्तित भूमि पर पुनर्निर्धारण, प्रध्याजि तथा जुर्माना का सूचना-पत्र)

नोटिस प्रपत्र "बी"

बनाम

बी. पोराराम आरमज. स्व. स्वराम निवासी ग्राम कसईपाली
एट. ह. नं. 31 तहसील कटघोरा जिला कोरबा

(1) आपको सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि पर गैर-कायकारी जगहों में लाये जाने के कारण राजस्व मामला
क्रमांक 141/372/02-03 के अंतर्गत कमेन्टर/अनुविभागीय अधिकारी कटघोरा के आदेश दिनांक 6.8.2003
5 अनुसार निम्नलिखित पुनर्निर्धारण (जमा) निर्धारित किया गया है :-

ग्राम ग्राम भव बन्दोबस्त नम्बर, व. ह. नं.	बसरा नम्बर सर्वे नम्बर प्लॉट नम्बर	परिवर्तित भूमि का क्षेत्रफल	अन्तिम रूप से निर्धारित किया गया संशोधित पुनर्निर्धारण (जमा)
--	--	-----------------------------	---

ग्राम कसईपाली प. ह. नं. - 31 रा. नि. मं. कटघोरा तहसील - कटघोरा जिला - कोरबा	195/2 196/2 256/1	0.384 0.138 0.206	आवसायिक प्रयोजन हेतु पुनर्निर्धारण 2825.00 रु. पंचायत उपकर 1413.00 रु. निर्धारित किया गया। देय दिनांक 1-10-2002 तक वृत्ति शु. राजस्व 0.50 रु. निरस्त किया गया।
	योग 3	0.728 हे. 1.80 एफ़ड (78480 वर्ग फुट)	
			चालान रु. 28/16 दिनांक 18-8-2003 के द्वारा पुनर्निर्धारण 2825.00 रु. प्रत्येकी 10941.00 रु. तथा चालान रु. 28/32 दिनांक 18-8-2003 के द्वारा 1413.00 रु. स्टेर बैंक कटघोरा में जमा किया गया।

(2) आपको यह भी सूचित किया जाता है कि कायकारी भूमि को गैर-कायकारी कामों में परिवर्तित किये जाने के फलस्वरूप
आप पर प्रीमियम (प्रध्याजि) 372/02-03 रुपया और जुर्माना... XX रुपया किया जाता है जो आप खजाने में
जमा कर चालान दिनांक या इसके पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें।

[Signature]

विशेष कर्तव्य अधिकारी (परिवर्तित भूमि)